

आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुंबई मध्य का कार्यालय, **OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CGST & CENTRAL** EXCISE.

MUMBAI CENTRAL वस्तु एवं सेवा कर भवन, 115, महर्षि कर्वे मार्ग,

GST BHAVAN, 115, MAHARSHI KARVE ROAD, चर्चगेट स्टेशन के सामने, मुम्बई 400020

OPP. CHURCHGATE STATION, MUMBAI 400 020



प्रतिष्ठा में ,

जनसम्पर्क अधिकारी सह अधीक्षक (PRO), केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय, मुंबई मध्य, मुंबई अंचल ।

विषय:- "ख" क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों दवारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड ,नामपट्ट आदि में त्रिभाषा के प्रेयोग की अनुपालने रिपोर्ट ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कृपया इस कार्यालय से जारी पत्रांक II/39-हिन्दी (18)2021/2021/74 दिनांक 22.4.2025 एवं भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग सीबीआईसी द्वारा जारी समविषयक पत्र दिनांक 02.04.2025 (संलग्न) का संदर्भ लें । विदित हो कि पत्र में "ख" क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड ,नामपृष्ट आदि में त्रिभाषा के प्रयोग के निर्देश जारी किए गए हैं।

आपसे अपेक्षित है कि संलग्न पत्रों के आलोक में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कर इस कार्यालय को दिनांक 15.07.2025 तक सूचित करें जिससे कि आगामी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आगामी बैठक में माननीय अध्यक्ष को की गई कार्यवाही से अवगत कराया जा सके ।

> Manmohan Dheer 04-07-2025

(मनमोहन धीर) सहायक निदेशक (रा.भा)

सीजीएसटी, मुंबई मध्य संलग्न:- पत्रांक II/39-हिन्दी (18)2021/2021/74 दिनांक 22.4.2025 एवं सीबीआईसी द्वारा जारी समविषयक पत्र दिनांक 02.04.2025।

प्रतिलिपि:- 1. अपर आयुक्त (राजभाषा), केंद्रीय वस्त् एवं सेवा कर आयुक्तालय, म्ंबई को सूचनार्थ । मध्य